POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 13.03.2023

1-थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा दिनांक 12.03.2023 को हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. मोनू कुवाड पुत्र धर्मवीर सिंह 2. शाकिर खान पुत्र लियाकत अली 3. सोनू पुत्र उदय सिह को विश्राम फाउण्डेशन नशा मुक्ति केन्द्र एसके-95 सेक्टर-112 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-

वादी मुकदमा ने थाना सैक्टर 113 नोएडा पर सूचना दी कि उनके सगे भाई इन्द्रजीत सिंह को नशे की लत के कारण विश्राम फाउण्डेशन नशा मुक्ति केन्द्र एसके-95 सेक्टर-112 नोएडा में भर्ती कराया गया था। दिनांक 09.03.2023 को उन्हे उपरोक्त नशा मुक्ति केन्द्र से फोन कर बताया गया कि उनके भाई को मिर्गी का दौरा पडा है, जिससे वो बेहोश हो गये है, कुछ देर बाद बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गयी है। जिनके शव को नशा मुक्ति केन्द्र के कर्मियों अभियुक्त पवन कुमार द्वारा एम्बुलेंस से उनके घर दिल्ली भिजवा दिया गया था। वादी द्वारा अपने भाई के शव को उठाते समय देखा कि उनके सिर में गहरी चोट के कारण खून बह रहा था, जिससे उन्हे शक हुआ कि नशा मुक्ति केन्द्र में मारपीट कर हत्या की गयी है। मृतक के भाई वादी उपरोक्त की सूचना पर मु0अ0स0-86/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था।

थाना सेक्टर-113 नोएडा द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के दौरान प्रकाश मे आये अभियुक्त पवन कुमार पुत्र रामी सिंह नि0-ग्राम रामपुर पावटी थाना जानी मेरठ को दिनांक 11.03.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गहनता से विवेचना से विश्राम फाउण्डेशन नशा मुक्ति केन्द्र एसके-95 सेक्टर-112 नोएडा में भर्ती मे भर्ती नशे के आदि उपचाराधीन/निरुद्ध 1. मोनू कुवाड पुत्र धर्मवीर सिंह नि0 नलाना रोड , समालखा थाना कोतवाली जिला पानीपत हरियाणा 2. शाकिर खान पुत्र लियाकत अली नि0 टी 72ए खिडकी स्टेशन थाना मालवीय नगर दक्षिणी दिल्ली 3. सोनू पुत्र उदय सिह नि0 ग्राम मछरी थाना दौराला जिला मेरठ द्वारा भी मृतक इन्द्रजीत सिंह को घटना के समय मृतक के साथ मार-पीट कर हत्या कर देना प्रकाश मे आया। अतः अभियोग मे धारा 34 भादवि की बढौतरी की गई।

पूछताछ व अपराध का विवरण-

अभियुक्त पवन पुत्र रामी सिंह निवासी ग्राम रामपुर पापटी थाना जानी जिला मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष ने बताया कि वह विश्राम फाउण्डेशन नशा मुक्ति केन्द्र सेक्टर 112 नोएडा पिछले करीब 06 महीने से मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। इस नशा मुक्ति केन्द्र में लोगो को नियंत्रण करने के लिए उनके साथ मेरे द्वारा मार पीट की जाती थी। दिनांक 09.03.2023 को

खाना खिलाये जाने के बाद लगभग दोपहर के 01 बजे तीन चार लोगो को सजा के तौर पर घुटनो के बल खड़ा करवाकर उनके हाथ ऊपर करवाये गये थे। जिनमें सरदार इन्द्रजीत भी शामिल थे। वह बार-बार अपने हाथ नीचे कर ले रहा था व पेशाब का बहाना कर शौचालय जा रहा था। जिसे मैने डण्डे से पीट दिया था, जिससे उसके सिर मे भी डण्डा लग गया था, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया था, उसके सिर में खुन बहने लगा था। पवन ने उसकी पगड़ी से सिर के खुन को रोकने का प्रयास किया था। थोड़ी देर मे ही उसकी सांस की गति रुक गयी थी। पवन ने अपने फाउण्डेशन के मालिक अभिषेक को यह बताकर सूचना फोन पर दी कि सरदार इन्द्रजीत को मिर्गी का दौरा पड़ गया है और वह बेहोश हो गया है। अभिषेक ने यह बात फोन से इन्द्रजीत के भाई को बतायी थी। पवन ने अभिषेक से इन्द्रजीत के साथ की गयी मार पीट का जिकर नही किया था। बाद मे इन्द्रजीत के परिवार वालो से बात होने पर उसके शव को एम्बुलेंस बुलाकर उसके घर के पते दिल्ली के लिए भेज दिया था। पवन ने जिस डण्डे से इन्द्रजीत को मारा उसे मैने विश्राम फाउण्डेशन की छत पर छिपा दिया था। आलाकत्ल डंडा (फावडे का बैटा) अभियुक्त पवन कुमार उपरोक्त की निशादेही पर विश्राम फाउण्डेशन की बिल्डिंग की छत से दिनाक. 11.03.2023 को ही बरामद किया जा चुका है। अभियुक्त पवन कुमार को दिनाक 11.03.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विस्तृत पूछताछ व गहनता से विवेचना पर अभियुक्त 1. मोनू कुवाड पुत्र धर्मवीर सिंह 2. शाकिर खान पुत्र लियाकत अली 3. सोनू पुत्र उदय सिह उपरोक्त का नाम भी प्रकाश मे आया। तीनो अभियुक्तो को दिनांक 12.03.2023 की रात्रि मे विश्राम फाउण्डेशन सैक्टर 112 नोएडा से गिरफ्तार किया गया पूछताछ मे तीनो ने कोहनी व घुटनो से मारपीट करने की घटना का इकबाल किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.मोनू कुवाड पुत्र धर्मवीर सिंह नि0 नलाना रोड , समालखा थाना कोतवाली जिला पानीपत हरियाणा

2. शाकिर खान पुत्र लियाकत अली नि0 टी 72ए खिडकी स्टेशन थाना मालवीय नगर द0दिल्ली

3.सोनू पुत्र उदय सिह नि0 ग्राम मछरी थाना दौराला जिला मेरठ

अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 086/20223धारा 302,34 भादवि थाना सैक्टर 113 नोएडा

2-थाना फेस 3 पुलिस द्वारा 289 MDMA नशीली गोली सिंथेटिक (ड्रग्स) कीमत (लगभग 25 लाख रूपये) बेचने वाले 02 अभियुक्त व 01 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 13.3.2023 को एचपी पैट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त 1.पुलकित कपुर पुत्र अमित कुमार कपुर नि0 सी 1208 आम्रपाली जोडेक सैक्टर 120 थाना सैक्टर 113 गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम अतरौली थाना अतरौली जिला अलीगढ को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त पुलकित कपुर की निशादेही पर अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान नि0 गली नं0 1 ग्राम ममूरा सैक्टर 67 थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर व अभियुक्ता पूजा गुप्ता पुत्री राजेश कुमार गुप्ता नि0 डी 187 सैक्टर 61 नोएडा को मकान डी 187 सैक्टर 61 के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु.अ.स. 106/23 धारा 8/22 (सी) , व 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा अपने साथियो सुर्यांश व प्रणय व दिदिप्य के साथ मिलकर MDMA नशीली गोली (ड्रग्स) नाजायज सिंथेटिक ड्रग्स बेचने का अपराध कारित किया गया है। दिदिप्य अभियुक्तों को बेचने के लिए नशीली गोलियाँ उपलब्ध कराता है । अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उक्त बरामदग गोलियों की अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रूपये है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. पुलकित कपूर पुत्र अमित कुमार कपूर नि0 सी 1208 आम्रपाली जोडेक सैक्टर 120 थाना सैक्टर 113 गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम अतरौली थाना अतरौली जिला अलीगढ

2. अभिषेक चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान नि0 गली नं0 1 ग्राम ममूरा सैक्टर 67 थाना फेस 3गौतमबुद्धनगर

3. पूजा गुप्ता पुत्री राजेश कुमार गुप्ता नि0 डी 187 सैक्टर 61 नोएडा

अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमा-

मु.अ.स. 106/23 धारा 8/22 (सी) व 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 3

बरामदगी का विवरण-

289 MDMA नशीली गोली (ड्रग्स) नाजायज कीमती (25 लाख रूपये)